समयबद्ध / तत्काल

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांकः 01(1) / कोविड19 / नोटिस / 2020 /

दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा0फरहाना शम्स
प्रभारी, पी0एच0सी0– आदमपुर, वारणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रुप में घोषित कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्व प्रयास आवश्यक है। कृपया समय–समय पर उ0 प्र0 शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी0एच0सी0 हेतु, अब तक चिन्हित कोविड–19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांकः 09.8.2020 के दैनिक कार्यो की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है –

1. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
2. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम–आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
3. **R.R.T.** द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
4. औषधि वितरणः– लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
5. कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्यः– बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिन्हित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड–संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
6. सैम्पलिंग कार्य :–
   - कान्टेक्ट सैम्पलिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन्स के सापेक्ष कम है।
   - सर्विलांस सैम्पल– कम है।
   - कम्यूनिटी सैम्पल– कम है।
   - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्पल की संख्या– कम है।
   - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्पल की संख्या– कम है।
7. पोर्टल फीडिंग कार्य :–
   A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक है। सैम्पल आई0डी0 व कन्साइंमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
   B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक है।
8. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।
9. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन–प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिन्हित व्यक्तियों / रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे है बल्कि दुःखद रूप से, को–मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन–मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये है। जिनका उल्लघंन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। **नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नही कहना है। तद्नुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरूद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आख्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड–19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।**

(विनय कुमार सिंह)
सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. **जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।**
2. **मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।**
3. **श्री अमित उपाध्याय (क0 लि0) को इस आशय से कि सम्बंधित पी0एच0सी0 प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बंधित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रमाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।**

सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

समयबद्ध / तत्काल

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांकः 01(2) / कोविड19 / नोटिस / 2020 दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा0सोनल त्रिपाठी
प्रभारी, पी0एच0सी0– आनन्दमयी, वारणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रुप में घोषित कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्व प्रयास आवश्यक है। कृपया समय–समय पर उ0 प्र0 शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी0एच0सी0 हेतु, अब तक चिन्हित कोविड–19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांकः 09.8.2020 के दैनिक कार्यो की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है –

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम–आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. **R.R.T.** द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरणः– लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्यः– बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिन्हित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड–संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्पलिंग कार्य :–
    - कान्टेक्ट सैम्पलिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन्स के सापेक्ष कम है।
    - सर्विलांस सैम्पल– कम है।
    - कम्यूनिटी सैम्पल– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्पल की संख्या– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्पल की संख्या– कम है।
07. पोर्टल फीडिंग कार्य :–
    A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक है। सैम्पल आई0डी0 व कन्साइंमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
    B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक है।
08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।
09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन–प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिन्हित व्यक्तियों / रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे है बल्कि दुःखद रूप से, को–मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन–मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये है। जिनका उल्लघंन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। **नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नही कहना है।** तद्नुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरूद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आख्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड–19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।

(विनय कुमार सिंह)
सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. **जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।**
02. **मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।**
03. **श्री अमित उपाध्याय (क0 लि0) को इस आशय से कि सम्बंधित पी0एच0सी0 प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बंधित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रमाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।**

सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

समयबद्ध / तत्काल

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांकः 01(3) / कोविड19 / नोटिस / 2020 दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा0वाई0बी0सिंह
प्रभारी, सी0एच0सी0– अराजीलाईन, वारणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रूप में घोषित कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्व प्रयास आवश्यक है। कृपया समय–समय पर उ0 प्र0 शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी0एच0सी0 हेतु, अब तक चिन्हित कोविड–19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांकः 09.8.2020 के दैनिक कार्यो की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है –

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम–आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. **R.R.T.** द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरणः– लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्यः– बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिन्हित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड–संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्पलिंग कार्य :–
    - कान्टेक्ट सैम्पलिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन्स के सापेक्ष कम है।
    - सर्विलांस सैम्पल– कम है।
    - कम्यूनिटी सैम्पल– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्पल की संख्या– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्पल की संख्या– कम है।
07. पोर्टल फीडिंग कार्य :–
    A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक है। सैम्पल आई0डी0 व कन्साइंमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
    B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक है।
08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।
09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन–प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिन्हित व्यक्तियों / रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे है बल्कि दुःखद रूप से, को–मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन–मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये है। जिनका उल्लघंन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। **नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नही कहना है। तद्नुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरूद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आख्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड–19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।**

(विनय कुमार सिंह)
सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।
02. मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।
03. श्री अमित उपाध्याय (क0 लि0) को इस आशय से कि सम्बंधित पी0एच0सी0 प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बंधित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रमाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।

सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

समयबद्ध / तत्काल

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांकः 01(4)कोविड19 / नोटिस / 2020

दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा0 जैसमिन भट्टी
प्रभारी, पी0एच0सी0– अशफाकनगर, वारणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रुप में घोषित कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्व प्रयास आवश्यक है। कृपया समय–समय पर उ0 प्र0 शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी0एच0सी0 हेतु, अब तक चिन्हित कोविड–19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांकः 09.8.2020 के दैनिक कार्यो की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है –

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम–आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. **R.R.T.** द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरणः– लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्यः– बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिन्हित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड–संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्पलिंग कार्य :–
    - कान्टेक्ट सैम्पलिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन्स के सापेक्ष कम है।
    - सर्विलांस सैम्पल– कम है।
    - कम्यूनिटी सैम्पल– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्पल की संख्या– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्पल की संख्या– कम है।
07. पोर्टल फीडिंग कार्य :–
    A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक है। सैम्पल आई0डी0 व कन्साइंमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
    B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक है।
08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।
09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन–प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिन्हित व्यक्तियों / रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे है बल्कि दुःखद रूप से, को–मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन–मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये है। जिनका उल्लघंन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। **नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नही कहना है। तद्नुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरूद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आख्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड–19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।**

(विनय कुमार सिंह)
सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. **जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।**
02. **मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।**
03. **श्री अमित उपाध्याय (क0 लि0) को इस आशय से कि सम्बंधित पी0एच0सी0 प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बंधित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रमाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।**

सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

समयबद्ध / तत्काल

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांकः 01(5)कोविड19 / नोटिस / 2020

दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा0 अर्चना कुमारी
प्रभारी, पी0एच0सी0– बजरडीहा, वारणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रुप में घोषित कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्व प्रयास आवश्यक है। कृपया समय–समय पर उ0 प्र0 शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी0एच0सी0 हेतु, अब तक चिन्हित कोविड–19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांकः 09.8.2020 के दैनिक कार्यो की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है –

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम–आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. **R.R.T.** द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरणः– लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्यः– बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिन्हित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड–संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्पलिंग कार्य :–
    - कान्टेक्ट सैम्पलिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन्स के सापेक्ष कम है।
    - सर्विलांस सैम्पल– कम है।
    - कम्यूनिटी सैम्पल– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्पल की संख्या– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्पल की संख्या– कम है।
07. पोर्टल फीडिंग कार्य :–
    A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक है। सैम्पल आई0डी0 व कन्साइंमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
    B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक है।
08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।
09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन–प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिन्हित व्यक्तियों / रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे है बल्कि दुःखद रूप से, को–मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन–मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये है। जिनका उल्लघंन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। **नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नही कहना है। तद्नुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरूद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आख्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड–19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।**

(विनय कुमार सिंह)
सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।
02. मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।
03. श्री अमित उपाध्याय (क0 लि0) को इस आशय से कि सम्बंधित पी0एच0सी0 प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बंधित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रमाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।

सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

समयबद्ध / तत्काल

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांकः 01(6)कोविड19 / नोटिस / 2020 दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा0 मनीषा पाण्डेय
प्रभारी, पी0एच0सी0– भेलूपुर, वारणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रुप में घोषित कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्व प्रयास आवश्यक है। कृपया समय–समय पर उ0 प्र0 शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी0एच0सी0 हेतु, अब तक चिन्हित कोविड–19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांकः 09.8.2020 के दैनिक कार्यो की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है –

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम–आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. **R.R.T.** द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरणः– लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्यः– बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्व ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिन्हित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड–संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्पलिंग कार्य :–
    - कान्टेक्ट सैम्पलिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन्स के सापेक्ष कम है।
    - सर्विलांस सैम्पल– कम है।
    - कम्यूनिटी सैम्पल– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्पल की संख्या– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्पल की संख्या– कम है।
07. पोर्टल फीडिंग कार्य :–
    A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक है। सैम्पल आई0डी0 व कन्साइंमेन्ट ज़नरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
    B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक है।
08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।
09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन–प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिन्हित व्यक्तियों / रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे है बल्कि दुःखद रूप से, को–मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन–मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये है। जिनका उल्लघंन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। **नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नही कहना है। तद्नुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरूद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आख्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड–19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।**

(विनय कुमार सिंह)
सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।
02. मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।
03. श्री अमित उपाध्याय (क0 लि0) को इस आशय से कि सम्बंधित पी0एच0सी0 प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बंधित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रमाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।

सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

समयबद्ध / तत्काल

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांकः 01(7)कोविड19 / नोटिस / 2020 दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा0 मधु पाण्डेय
प्रभारी, पी0एच0सी0– कैण्टोमेण्ट, वारणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रुप में घोषित कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्व प्रयास आवश्यक है। कृपया समय–समय पर उ0 प्र0 शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी0एच0सी0 हेतु, अब तक चिन्हित कोविड–19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांकः 09.8.2020 के दैनिक कार्यो की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है –

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम–आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. **R.R.T.** द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरणः– लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्यः– बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिन्हित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड–संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्पलिंग कार्य :–
    - कान्टेक्ट सैम्पलिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन्स के सापेक्ष कम है।
    - सर्विलांस सैम्पल– कम है।
    - कम्यूनिटी सैम्पल– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्पल की संख्या– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्पल की संख्या– कम है।
07. पोर्टल फीडिंग कार्य :–
    A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक है। सैम्पल आई0डी0 व कन्साइंमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
    B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक है।
08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।
09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन–प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिन्हित व्यक्तियों / रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे है बल्कि दुःखद रूप से, को–मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन–मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये है। जिनका उल्लघंन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। **नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नही कहना है। तद्नुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरूद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आख्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड–19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।**

(विनय कुमार सिंह)
सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. **जिलाधिकारी** महोदय वाराणसी।
02. **मुख्य चिकित्साधिकारी** वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।
03. **श्री अमित उपाध्याय (क0 लि0)** को इस आशय से कि सम्बंधित पी0एच0सी0 प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बंधित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रमाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।

सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

समयबद्ध / तत्काल

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांकः 01(8)कोविड19 / नोटिस / 2020

दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा0 अमित सिंह
प्रभारी, पी0एच0सी0– चिरईगॉव, वारणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रुप में घोषित कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्व प्रयास आवश्यक है। कृपया समय–समय पर उ0 प्र0 शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी0एच0सी0 हेतु, अब तक चिन्हित कोविड–19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांकः 09.8.2020 के दैनिक कार्यो की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है –

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम–आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. **R.R.T.** द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरणः– लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्यः– बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिन्हित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड–संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्पलिंग कार्य :–
    - कान्टेक्ट सैम्पलिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन्स के सापेक्ष कम है।
    - सर्विलांस सैम्पल– कम है।
    - कम्यूनिटी सैम्पल– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्पल की संख्या– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्पल की संख्या– कम है।
07. पोर्टल फीडिंग कार्य :–
    A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक है। सैम्पल आई0डी0 व कन्साइंमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
    B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक है।
08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।
09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन–प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिन्हित व्यक्तियों / रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे है बल्कि दुःखद रूप से, को–मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन–मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये है। जिनका उल्लघंन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। **नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नही कहना है। तद्नुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरूद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आख्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड–19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।**

(विनय कुमार सिंह)
सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. **जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।**
02. **मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।**
03. **श्री अमित उपाध्याय (क0 लि0) को इस आशय से कि सम्बंधित पी0एच0सी0 प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बंधित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रमाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।**

सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

समयबद्ध / तत्काल

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांकः 01(9)कोविड19 / नोटिस / 2020 दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा0 आर0बी0यादव,
प्रभारी, सी0एच0सी0– चोलापुर, वारणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रुप में घोषित कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्व प्रयास आवश्यक है। कृपया समय–समय पर उ0 प्र0 शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी0एच0सी0 हेतु, अब तक चिन्हित कोविड–19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांकः 09.8.2020 के दैनिक कार्यो की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है –

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम–आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. **R.R.T.** द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरणः– लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्यः– बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिन्हित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड–संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्पलिंग कार्य :–
    - कान्टेक्ट सैम्पलिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन्स के सापेक्ष कम है।
    - सर्विलांस सैम्पल– कम है।
    - कम्यूनिटी सैम्पल– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्पल की संख्या– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्पल की संख्या– कम है।
07. पोर्टल फीडिंग कार्य :–
    A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक है। सैम्पल आई0डी0 व कन्साइंमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
    B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक है।
08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।
09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन–प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिन्हित व्यक्तियों / रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे है बल्कि दुःखद रूप से, को–मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन–मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये है। जिनका उल्लघंन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। **नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नही कहना है। तद्नुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरूद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आख्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड–19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।**

(विनय कुमार सिंह)
सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।
02. मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।
03. श्री अमित उपाध्याय (क0 लि0) को इस आशय से कि सम्बंधित पी0एच0सी0 प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बंधित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रमाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।

सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

समयबद्ध / तत्काल

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांकः 01(10)कोविड19 / नोटिस / 2020

दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा0 प्रीती यादव,
प्रभारी, पी0एच0सी0– चौकाघाट, वारणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रुप में घोषित कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्व प्रयास आवश्यक है। कृपया समय–समय पर उ0 प्र0 शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी0एच0सी0 हेतु, अब तक चिन्हित कोविड–19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांकः 09.8.2020 के दैनिक कार्यो की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है –

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम–आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. **R.R.T.** द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरणः– लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्यः– बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिन्हित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड–संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्पलिंग कार्य :–
    - कान्टेक्ट सैम्पलिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन्स के सापेक्ष कम है।
    - सर्विलांस सैम्पल– कम है।
    - कम्यूनिटी सैम्पल– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्पल की संख्या– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्पल की संख्या– कम है।
07. पोर्टल फीडिंग कार्य :–
    A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक है। सैम्पल आई0डी0 व कन्साइंमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
    B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक है।
08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।
09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन–प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिन्हित व्यक्तियों / रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे है बल्कि दुःखद रूप से, को–मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन–मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये है। जिनका उल्लघंन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। **नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नही कहना है। तद्नुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरूद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आख्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड–19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।**

(विनय कुमार सिंह)
सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. **जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।**
02. **मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।**
03. **श्री अमित उपाध्याय (क0 लि0) को इस आशय से कि सम्बंधित पी0एच0सी0 प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बंधित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रमाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।**

सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

समयबद्ध / तत्काल

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांकः 01(11)कोविड19 / नोटिस / 2020

दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा0 मधु सिंह,
प्रभारी, पी0एच0सी0– दुर्गाकुण्ड, वारणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रुप में घोषित कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्व प्रयास आवश्यक है। कृपया समय–समय पर उ0 प्र0 शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी0एच0सी0 हेतु, अब तक चिन्हित कोविड–19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांकः 09.8.2020 के दैनिक कार्यो की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है –

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम–आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. **R.R.T.** द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरणः– लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्यः– बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिन्हित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड–संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्पलिंग कार्य :–
    - कान्टेक्ट सैम्पलिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन्स के सापेक्ष कम है।
    - सर्विलांस सैम्पल– कम है।
    - कम्यूनिटी सैम्पल– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्पल की संख्या– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्पल की संख्या– कम है।
07. पोर्टल फीडिंग कार्य :–
    A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक है। सैम्पल आई0डी0 व कन्साइंमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
    B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक है।
08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।
09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन–प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिन्हित व्यक्तियों / रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे है बल्कि दुःखद रूप से, को–मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन–मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये है। जिनका उल्लघंन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। **नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नही कहना है। तद्नुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरूद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आख्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड–19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।**

(विनय कुमार सिंह)
सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।
02. मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।
03. श्री अमित उपाध्याय (क0 लि0) को इस आशय से कि सम्बंधित पी0एच0सी0 प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बंधित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रमाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।

सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

समयबद्ध / तत्काल

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांकः 01(12)कोविड19 / नोटिस / 2020 दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा0 आर0के0 सिंह,
प्रभारी, पी0एच0सी0– हरहुआ, वारणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रुप में घोषित कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्व प्रयास आवश्यक है। कृपया समय–समय पर उ0 प्र0 शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी0एच0सी0 हेतु, अब तक चिन्हित कोविड–19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांकः 09.8.2020 के दैनिक कार्यो की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है –

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम–आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. **R.R.T.** द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरणः– लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्यः– बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिन्हित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड–संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्पलिंग कार्य :–
    - कान्टेक्ट सैम्पलिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन्स के सापेक्ष कम है।
    - सर्विलांस सैम्पल– कम है।
    - कम्यूनिटी सैम्पल– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्पल की संख्या– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्पल की संख्या– कम है।
07. पोर्टल फीडिंग कार्य :–
    A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक है। सैम्पल आई0डी0 व कन्साइंमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
    B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक है।
08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।
09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन–प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिन्हित व्यक्तियों / रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे है बल्कि दुःखद रूप से, को–मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन–मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये है। जिनका उल्लघंन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। **नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नही कहना है। तदनुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरूद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आख्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड–19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।**

(विनय कुमार सिंह)
सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. **जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।**
02. **मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।**
03. **श्री अमित उपाध्याय (क0 लि0) को इस आशय से कि सम्बंधित पी0एच0सी0 प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बंधित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रमाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।**

सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

समयबद्ध / तत्काल

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांकः 01(13)कोविड19 / नोटिस / 2020 दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा0 उमेश सिन्हा,
प्रभारी, पी0एच0सी0– जैतपुरा, वारणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रुप में घोषित कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्व प्रयास आवश्यक है। कृपया समय–समय पर उ0 प्र0 शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी0एच0सी0 हेतु, अब तक चिन्हित कोविड–19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांकः 09.8.2020 के दैनिक कार्यो की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है –

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम–आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. **R.R.T.** द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरणः– लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्यः– बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिन्हित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड–संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्पलिंग कार्य :–
    - कान्टेक्ट सैम्पलिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन्स के सापेक्ष कम है।
    - सर्विलांस सैम्पल– कम है।
    - कम्यूनिटी सैम्पल– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्पल की संख्या– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्पल की संख्या– कम है।
07. पोर्टल फीडिंग कार्य :–
    A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक है। सैम्पल आई0डी0 व कन्साइंमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
    B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक है।
08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।
09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन–प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिन्हित व्यक्तियों / रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे है बल्कि दुःखद रूप से, को–मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन–मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये है। जिनका उल्लघंन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। **नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नही कहना है। तद्नुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरूद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आख्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड–19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।**

(विनय कुमार सिंह)
सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।
02. मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।
03. श्री अमित उपाध्याय (क0 लि0) को इस आशय से कि सम्बंधित पी0एच0सी0 प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बंधित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रमाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।

सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

समयबद्ध / तत्काल

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांकः 01(14)कोविड19 / नोटिस / 2020 दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा0 नवीन सिंह,
प्रभारी, पी0एच0सी0– काशी विद्यापीठ, वारणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रुप में घोषित कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्व प्रयास आवश्यक है। कृपया समय–समय पर उ0 प्र0 शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी0एच0सी0 हेतु, अब तक चिन्हित कोविड–19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांकः 09.8.2020 के दैनिक कार्यो की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है –

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम–आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. **R.R.T.** द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरणः– लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्यः– बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिन्हित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड–संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्पलिंग कार्य :–
    - कान्टेक्ट सैम्पलिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन्स के सापेक्ष कम है।
    - सर्विलांस सैम्पल– कम है।
    - कम्यूनिटी सैम्पल– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्पल की संख्या– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्पल की संख्या– कम है।
07. पोर्टल फीडिंग कार्य :–
    A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक है। सैम्पल आई0डी0 व कन्साइंमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
    B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक है।
08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।
09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन–प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिन्हित व्यक्तियों / रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे है बल्कि दुःखद रूप से, को–मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन–मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये है। जिनका उल्लघंन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। **नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नही कहना है। तद्नुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरूद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आख्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड–19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।**

(विनय कुमार सिंह)
सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. **जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।**
02. **मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।**
03. **श्री अमित उपाध्याय (क0 लि0) को इस आशय से कि सम्बंधित पी0एच0सी0 प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बंधित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रमाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।**

सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

समयबद्ध / तत्काल

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांकः 01(15)कोविड19 / नोटिस / 2020

दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा0 फाल्गुनी गुप्ता,
प्रभारी, पी0एच0सी0– लल्लापुरा, वारणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रुप में घोषित कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्व प्रयास आवश्यक है। कृपया समय–समय पर उ0 प्र0 शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी0एच0सी0 हेतु, अब तक चिन्हित कोविड–19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांकः 09.8.2020 के दैनिक कार्यो की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है –

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम–आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. **R.R.T.** द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरणः– लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्यः– बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिन्हित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड–संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्पलिंग कार्य :–
    - कान्टेक्ट सैम्पलिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन्स के सापेक्ष कम है।
    - सर्विलांस सैम्पल– कम है।
    - कम्यूनिटी सैम्पल– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्पल की संख्या– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्पल की संख्या– कम है।
07. पोर्टल फीडिंग कार्य :–
    A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक है। सैम्पल आई0डी0 व कन्साइंमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
    B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक है।
08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।
09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन–प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिन्हित व्यक्तियों / रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे है बल्कि दुःखद रूप से, को–मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन–मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये है। जिनका उल्लघंन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। **नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नही कहना है। तदनुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरूद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आख्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड–19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।**

(विनय कुमार सिंह)
सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।
02. मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।
03. श्री अमित उपाध्याय (क0 लि0) को इस आशय से कि सम्बंधित पी0एच0सी0 प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बंधित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रमाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।

सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

समयबद्ध / तत्काल

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांकः 01(16)कोविड19 / नोटिस / 2020

दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा0 सौम्या नवल
प्रभारी, पी0एच0सी0– माधोपुर, वारणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रुप में घोषित कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्व प्रयास आवश्यक है। कृपया समय–समय पर उ0 प्र0 शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी0एच0सी0 हेतु, अब तक चिन्हित कोविड–19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांकः 09.8.2020 के दैनिक कार्यो की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है –

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम–आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. **R.R.T.** द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरणः– लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्यः– बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिन्हित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड–संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्पलिंग कार्य :–
    - कान्टेक्ट सैम्पलिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन्स के सापेक्ष कम है।
    - सर्विलांस सैम्पल– कम है।
    - कम्यूनिटी सैम्पल– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्पल की संख्या– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्पल की संख्या– कम है।
07. पोर्टल फीडिंग कार्य :–
    A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक है। सैम्पल आई0डी0 व कन्साइंमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
    B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक है।
08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।
09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन–प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिन्हित व्यक्तियों / रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे है बल्कि दुःखद रूप से, को–मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन–मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये है। जिनका उल्लघंन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। **नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नही कहना है। तद्नुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरूद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आख्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड–19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।**

(विनय कुमार सिंह)
सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. **जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।**
02. **मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।**
03. **श्री अमित उपाध्याय (क0 लि0) को इस आशय से कि सम्बंधित पी0एच0सी0 प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बंधित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रमाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।**

सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

समयबद्ध / तत्काल

पत्रांकः 01(17)कोविड19 / नोटिस / 2020

दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा0 ममता पाण्डेय,
प्रभारी, पी0एच0सी0– मण्डुआडीह, वारणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रुप में घोषित कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्व प्रयास आवश्यक है। कृपया समय–समय पर उ0 प्र0 शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी0एच0सी0 हेतु, अब तक चिन्हित कोविड–19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांकः 09.8.2020 के दैनिक कार्यो की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है –

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम–आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. **R.R.T.** द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरणः– लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्यः– बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्व ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिन्हित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड–संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्पलिंग कार्य :–
    - कान्टेक्ट सैम्पलिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन्स के सापेक्ष कम है।
    - सर्विलांस सैम्पल– कम है।
    - कम्यूनिटी सैम्पल– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्पल की संख्या– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्पल की संख्या– कम है।
07. पोर्टल फीडिंग कार्य :–
    A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक है। सैम्पल आई0डी0 व कन्साइंमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
    B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक है।
08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।
09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन–प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिन्हित व्यक्तियों / रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे है बल्कि दुःखद रूप से, को–मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन–मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये है। जिनका उल्लघंन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। **नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नही कहना है। तद्नुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरूद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आख्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड–19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।**

(विनय कुमार सिंह)
सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. **जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।**
02. **मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।**
03. **श्री अमित उपाध्याय (क0 लि0) को इस आशय से कि सम्बंधित पी0एच0सी0 प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बंधित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रमाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।**

सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

समयबद्ध / तत्काल

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांकः 01(18)कोविड19 / नोटिस / 2020

दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा0 संगीता मौर्या
प्रभारी, पी0एच0सी0– अर्दलीबाजार, वारणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रुप में घोषित कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्व प्रयास आवश्यक है। कृपया समय–समय पर उ0 प्र0 शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी0एच0सी0 हेतु, अब तक चिन्हित कोविड–19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांकः 09.8.2020 के दैनिक कार्यो की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है –

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम–आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. **R.R.T.** द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरणः– लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्यः– बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्व ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिन्हित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड–संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्पलिंग कार्य :–
    - कान्टेक्ट सैम्पलिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन्स के सापेक्ष कम है।
    - सर्विलांस सैम्पल– कम है।
    - कम्यूनिटी सैम्पल– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्पल की संख्या– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्पल की संख्या– कम है।
07. पोर्टल फीडिंग कार्य :–
    A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक है। सैम्पल आई0डी0 व कन्साइंमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
    B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक है।
08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।
09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन–प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिन्हित व्यक्तियों / रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे है बल्कि दुःखद रूप से, को–मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन–मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये है। जिनका उल्लघंन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। **नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नही कहना है। तद्नुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरूद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आख्या प्रेषित कर दी** जाएगी, जिसकी **जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड–19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।**

(विनय कुमार सिंह)
सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. **जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।**
02. **मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।**
03. **श्री अमित उपाध्याय (क0 लि0) को इस आशय से कि सम्बंधित पी0एच0सी0 प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बंधित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रमाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।**

सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

समयबद्ध / तत्काल

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांकः 01(19)कोविड19 / नोटिस / 2020

दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा0 निधि पाण्डेय
प्रभारी, पी0एच0सी0– पाण्डेयपुर, वारणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रुप में घोषित कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्व प्रयास आवश्यक है। कृपया समय–समय पर उ0 प्र0 शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी0एच0सी0 हेतु, अब तक चिन्हित कोविड–19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांकः 09.8.2020 के दैनिक कार्यो की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है –

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम–आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. **R.R.T.** द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरणः– लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्यः– बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिन्हित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड–संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्पलिंग कार्य :–
    - कान्टेक्ट सैम्पलिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन्स के सापेक्ष कम है।
    - सर्विलांस सैम्पल– कम है।
    - कम्यूनिटी सैम्पल– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्पल की संख्या– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्पल की संख्या– कम है।
07. पोर्टल फीडिंग कार्य :–
    A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक है। सैम्पल आई0डी0 व कन्साइंमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
    B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक है।
08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।
09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन–प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिन्हित व्यक्तियों / रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे है बल्कि दुःखद रूप से, को–मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन–मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये है। जिनका उल्लघंन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। **नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नही कहना है। तद्नुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरूद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आख्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड–19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।**

(विनय कुमार सिंह)
सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।
02. मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।
03. श्री अमित उपाध्याय (क0 लि0) को इस आशय से कि सम्बंधित पी0एच0सी0 प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बंधित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रमाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।

सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

समयबद्ध / तत्काल

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांकः 01(20)कोविड19 / नोटिस / 2020

दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा0 हरिश्चन्द्र मौर्या
प्रभारी, पी0एच0सी0– पिण्डरा वारणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रुप में घोषित कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्व प्रयास आवश्यक है। कृपया समय–समय पर उ0 प्र0 शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी0एच0सी0 हेतु, अब तक चिन्हित कोविड–19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांकः 09.8.2020 के दैनिक कार्यो की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है –

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम–आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. **R.R.T.** द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरणः– लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्यः– बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिन्हित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड–संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्पलिंग कार्य :–
    - कान्टेक्ट सैम्पलिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन्स के सापेक्ष कम है।
    - सर्विलांस सैम्पल– कम है।
    - कम्यूनिटी सैम्पल– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्पल की संख्या– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्पल की संख्या– कम है।
07. पोर्टल फीडिंग कार्य :–
    A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक है। सैम्पल आई0डी0 व कन्साइंमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
    B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक है।
08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।
09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन–प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिन्हित व्यक्तियों / रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे है बल्कि दुःखद रूप से, को–मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन–मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये है। जिनका उल्लघंन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। **नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नही कहना है। तद्नुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरूद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आख्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड–19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।**

(विनय कुमार सिंह)
सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।
02. मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।
03. श्री अमित उपाध्याय (क0 लि0) को इस आशय से कि सम्बंधित पी0एच0सी0 प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बंधित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रमाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।

सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

समयबद्ध / तत्काल

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांकः 01(21)कोविड19 / नोटिस / 2020

दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा0 हेमन्त शर्मा
प्रभारी, पी0एच0सी0– सदर बाजार वारणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रुप में घोषित कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्व प्रयास आवश्यक है। कृपया समय–समय पर उ0 प्र0 शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी0एच0सी0 हेतु, अब तक चिन्हित कोविड–19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांकः 09.8.2020 के दैनिक कार्यो की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है –

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम–आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. **R.R.T.** द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरणः– लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्यः– बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिन्हित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड–संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्पलिंग कार्य :–
    - कान्टेक्ट सैम्पलिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन्स के सापेक्ष कम है।
    - सर्विलांस सैम्पल– कम है।
    - कम्यूनिटी सैम्पल– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्पल की संख्या– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्पल की संख्या– कम है।
07. पोर्टल फीडिंग कार्य :–
    A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक है। सैम्पल आई0डी0 व कन्साइंमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
    B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक है।
08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।
09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन–प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिन्हित व्यक्तियों / रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे है बल्कि दुःखद रूप से, को–मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन–मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये है। जिनका उल्लघंन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। **नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नही कहना है। तद्नुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरूद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आख्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड–19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।**

(विनय कुमार सिंह)
सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।
02. मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।
03. श्री अमित उपाध्याय (क0 लि0) को इस आशय से कि सम्बंधित पी0एच0सी0 प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बंधित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रमाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।

सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

समयबद्ध / तत्काल

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांकः 01(22)कोविड19 / नोटिस / 2020 दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा0 निधि गुप्ता
प्रभारी, पी0एच0सी0– सेवासदन वारणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रुप में घोषित कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्व प्रयास आवश्यक है। कृपया समय–समय पर उ0 प्र0 शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी0एच0सी0 हेतु, अब तक चिन्हित कोविड–19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांकः 09.8.2020 के दैनिक कार्यो की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है –

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम–आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. **R.R.T.** द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरणः– लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्यः– बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिन्हित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड–संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्पलिंग कार्य :–
    - कान्टेक्ट सैम्पलिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन्स के सापेक्ष कम है।
    - सर्विलांस सैम्पल– कम है।
    - कम्यूनिटी सैम्पल– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्पल की संख्या– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्पल की संख्या– कम है।
07. पोर्टल फीडिंग कार्य :–
    A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक है। सैम्पल आई0डी0 व कन्साइंमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
    B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक है।
08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।
09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन–प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिन्हित व्यक्तियों / रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे है बल्कि दुःखद रूप से, को–मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन–मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये है। जिनका उल्लघंन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। **नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नही कहना है। तद्नुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरूद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आख्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड–19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।**

(विनय कुमार सिंह)
सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।
02. मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।
03. श्री अमित उपाध्याय (क0 लि0) को इस आशय से कि सम्बंधित पी0एच0सी0 प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बंधित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रमाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।

सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

समयबद्ध / तत्काल

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांकः 01(23)कोविड19 / नोटिस / 2020 दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा0 वाई0बी0पाठक
प्रभारी, पी0एच0सी0– सेवापुरी वारणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रुप में घोषित कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्व प्रयास आवश्यक है। कृपया समय–समय पर उ0 प्र0 शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी0एच0सी0 हेतु, अब तक चिन्हित कोविड–19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांकः 09.8.2020 के दैनिक कार्यो की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है –

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम–आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. **R.R.T.** द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरणः– लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्यः– बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिन्हित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड–संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्पलिंग कार्य :–
    - कान्टेक्ट सैम्पलिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन्स के सापेक्ष कम है।
    - सर्विलांस सैम्पल– कम है।
    - कम्यूनिटी सैम्पल– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्पल की संख्या– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्पल की संख्या– कम है।
07. पोर्टल फीडिंग कार्य :–
    A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक है। सैम्पल आई0डी0 व कन्साइंमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
    B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक है।
08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।
09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन–प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिन्हित व्यक्तियों / रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे है बल्कि दुःखद रूप से, को–मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन–मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये है। जिनका उल्लघंन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। **नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नही कहना है। तद्नुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरूद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आख्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड–19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।**

(विनय कुमार सिंह)
सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. **जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।**
02. **मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।**
03. **श्री अमित उपाध्याय (क0 लि0) को इस आशय से कि सम्बंधित पी0एच0सी0 प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बंधित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रमाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।**

सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

समयबद्ध / तत्काल

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांकः 01(24)कोविड19 / नोटिस / 2020

दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा0 अनिला सिंह
प्रभारी, पी0एच0सी0– शिवपुर वाराणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रुप में घोषित कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्व प्रयास आवश्यक है। कृपया समय–समय पर उ0 प्र0 शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी0एच0सी0 हेतु, अब तक चिन्हित कोविड–19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांकः 09.8.2020 के दैनिक कार्यो की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है –

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम–आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. **R.R.T.** द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरणः– लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्यः– बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिन्हित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड–संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्पलिंग कार्य :–
    - कान्टेक्ट सैम्पलिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन्स के सापेक्ष कम है।
    - सर्विलांस सैम्पल– कम है।
    - कम्यूनिटी सैम्पल– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्पल की संख्या– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्पल की संख्या– कम है।
07. पोर्टल फीडिंग कार्य :–
    A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक है। सैम्पल आई0डी0 व कन्साइंमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
    B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक है।
08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।
09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन–प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिन्हित व्यक्तियों / रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे है बल्कि दुःखद रूप से, को–मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन–मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये है। जिनका उल्लघंन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। **नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नही कहना है।** तद्नुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरूद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आख्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड–19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।

(विनय कुमार सिंह)
सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।
02. मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।
03. श्री अमित उपाध्याय (क0 लि0) को इस आशय से कि सम्बंधित पी0एच0सी0 प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बंधित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रमाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।

सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

समयबद्ध / तत्काल

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांकः 01(25)कोविड19 / नोटिस / 2020

दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा0 उपमा पाण्डेय
प्रभारी, पी0एच0सी0– सिकरौल वारणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रुप में घोषित कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्व प्रयास आवश्यक है। कृपया समय–समय पर उ0 प्र0 शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी0एच0सी0 हेतु, अब तक चिन्हित कोविड–19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांकः 09.8.2020 के दैनिक कार्यो की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है –

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम–आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. **R.R.T.** द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरणः– लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्यः– बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिन्हित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड–संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्पलिंग कार्य :–
    - कान्टेक्ट सैम्पलिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन्स के सापेक्ष कम है।
    - सर्विलांस सैम्पल– कम है।
    - कम्यूनिटी सैम्पल– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्पल की संख्या– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्पल की संख्या– कम है।
07. पोर्टल फीडिंग कार्य :–
    A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक है। सैम्पल आई0डी0 व कन्साइंमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
    B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक है।
08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।
09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन–प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिन्हित व्यक्तियों / रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे है बल्कि दुःखद रूप से, को–मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन–मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये है। जिनका उल्लघंन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। **नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नही कहना है। तद्नुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरूद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आख्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड–19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।**

(विनय कुमार सिंह)
सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।
02. मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।
03. श्री अमित उपाध्याय (क0 लि0) को इस आशय से कि सम्बंधित पी0एच0सी0 प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बंधित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रमाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।

सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

समयबद्ध / तत्काल

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांकः 01(26)कोविड19 / नोटिस / 2020

दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा0 सरोज यादव
प्रभारी, पी0एच0सी0– टाउनहाल वारणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रुप में घोषित कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्व प्रयास आवश्यक है। कृपया समय–समय पर उ0 प्र0 शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी0एच0सी0 हेतु, अब तक चिन्हित कोविड–19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांकः 09.8.2020 के दैनिक कार्यो की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है –

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम–आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. **R.R.T.** द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरणः– लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्यः– बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिन्हित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड–संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्पलिंग कार्य :–
    - कान्टेक्ट सैम्पलिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन्स के सापेक्ष कम है।
    - सर्विलांस सैम्पल– कम है।
    - कम्यूनिटी सैम्पल– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्पल की संख्या– कम है।
    - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्पल की संख्या– कम है।
07. पोर्टल फीडिंग कार्य :–
    A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक है। सैम्पल आई0डी0 व कन्साइंमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
    B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक है।
08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।
09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन–प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिन्हित व्यक्तियों / रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे है बल्कि दुःखद रूप से, को–मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन–मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये है। जिनका उल्लघंन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। **नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नही कहना है। तद्नुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरूद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आख्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड–19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।**

(विनय कुमार सिंह)
सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. **जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।**
02. **मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।**
03. **श्री अमित उपाध्याय (क0 लि0) को इस आशय से कि सम्बंधित पी0एच0सी0 प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बंधित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रमाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।**

सहा0 नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई0सी0सी0सी0, वाराणसी।